लोक गठबन्धन पार्टी

द्वारा

एक नये, ईमानदार, सम्पन्न भारत के निर्माण की रूपरेखा

एक भविष्य दृष्टा की भांति नेहरू ने लिखा था ''बहुत साल पहले जब हम लोग गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के संग्राम में भाग ले रहे थे तब हमारे सामने बड़ी परिकल्पना रहती थी, स्वाधीनता की ही नहीं, कुछ और ज्यादा बाते थीं, एक सामाजिक उद्देश्य था, भविष्य का एक स्वप्न था, जिसका हम निर्माण करने जा रहे थे और उसने हमें एक प्रकार की स्फूर्ति प्रदान की, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का एक जज़्बा दिया। अब हममे से बहुतेरे शायद रास्तें से भटक गये हैं.....'' हमारे नेताओं के सामने एक बड़ा सपना था कि समाज के सबसे गरीब और कमजोर लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाय। वे महानता के प्रतीक इसलिये बन गये क्योंकि गरीबों की संवेदना को स्वयं में महसूस किया और अपने समर्पित प्रयत्नों से वे उस परिवर्तन का मूर्त उदाहरण बन गये जो परिवर्तन ''हम समाज में देखना चाहते हैं''। बाद के वर्षों का राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थी और भ्रष्ट हो गया और आज भी वह जानबूझ कर इस अपरिवर्तनीय सत्य को अनदेखा कर रहा है कि जिस अनुपात में नेता आम आदमियों के कल्याण के लिये काम करेंगे उसी अनुपात में देश की महानता सुनिश्चित होगी। आज के राजनीतिक नेताओं की पूरी फसल अपने आपको अधिक से अधिक अमीर बनाने में प्राणपण से जुड़ी हुई है।

2. हमारी सभी समस्याओं और उनसे प्रत्युत्पन्न हमारे अवरूद्ध विकास का आज एक मात्र कारण है कि नेताओं ने देशवासियों को धोखा दिया है। इसीलिये वर्ष 2016 का भारत अपार संभावनाओं का एक देश बनकर रह गया है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी 125 करोड़ की जनसंख्या में 65 प्रतिशत नागरिकों की अवस्था 35 वर्ष से नीचे है और जो आज भी ऊर्जा, आशा और आकांक्षा से धड़क रहा है। प्रत्येक भारतीय एक शांतिपूर्ण सम्मानित जीवन जीना चाहता है जिसमें वह दो जून की रोटी कमा सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके और जिन्दगी के पायदान पर सामान्य रूप से ऊपर उठा सके। आम आदमी की यही आशा, यह सपना और आकांक्षा जीवन के मूल से जुड़ी है

इससे कम की कल्पना तो की भी नहीं जा सकती। हमारी प्रशासन व्यवस्था ने ही जनता को धोखा दिया है। हम भारत को वैश्विक स्तर पर महान तो नहीं बना पाये, उल्टे भारत में शोषण करने वाला एक मजबूत सामाजिक, आर्थिक तंत्र निर्बाध रूप से सक्रिय है। हमारे गांवों में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं जो गरीबी, कुपोषण, बीमारी और अभाव से ग्रस्त हैं। आज की राजनीतिक व्यवस्था पूर्व के पथ निर्माताओं की राह से भटक गयी है और समस्त आदर्शों को नष्ट–भ्रष्ट कर दिया है। आज की व्यवस्था केवल जाति, धर्म और भाषा की तुच्छ परिधियों में बंधकर राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य को सर्वथा भूल बैठी है लेकिन हम निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों से एक नवीन भारत की संरचना करेंगे जो वर्ग, जाति, जातिगत शोषण और अमानवीय गरीबी, अशिक्षा तथा सामाजिक–आर्थिक अत्याचार से पूर्णतया मुक्त रहेगा।

3. स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली एवं प्रभावी प्रशासन व्यवस्था के माध्यम से हम ऐसा करने में सफल होंगे। हमारा ध्येय होगा सर्वोदय–सबके लिये समान अवसर, सबका मंगल। नवीन राजनीति में फैसले सिद्धान्तों पर आधारित रहेंगे और आज की मुख्यतः स्वार्थी भौतिकवादी व्यवस्था के स्थान पर वह नैतिक मूल्यों से प्रेरित, जनकल्याण एवं सामाजिक न्याय पर केन्द्रित रहेगी। सार्वजनिक मामलों को एक नैतिक आयाम प्रदान किया जायेगा। प्रशासन में हम अन्याय के विरूद्ध जंग की भावना को पुर्नस्थापित करेंगे। साध्य के लिये साधनों की शुचिता की अवहेलना नहीं की जायेगी। चाहे व्यक्ति हो समूह हो अथवा अन्य राष्ट्र हों सबसे साथ निष्कलुष भाव से व्यवहार किया जायेगा। एक ही अन्तरात्मा द्वारा समस्त कार्य संचालित किये जायेंगे। राष्ट्र के रूप में हम जैसा बायेंगे वैसा ही काटेंगे। हम अच्छे बीज बोयेंगे ताकि समाज एक अच्छी फसल काटे। हमारा अंतिम दर्शन एवं अभीष्ट एक ही होगा कि कैसे प्रत्येक नागरिक को यथासंभव एक सर्वोत्तम जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाये।

हमें किस प्रकार की प्रशासन व्यवस्था मिली है

4. अमीर और किसी हद तक शिक्षित मध्यम वर्ग को छोड़कर शेष जनसंख्या के लिये यह एक दैनिक संघर्ष है कि किस प्रकार जीवन में मनुष्य अपने सम्मान को सुरक्षित रख पाये। जब यह दशा देश की 65 प्रतिशत जनसंख्या की हो तो यह शोक का विषय है कि विकास की असीमित क्षमता के बाद भी हम आजतक अपनी अपेक्षाओं को मूर्त नहीं कर पाये हैं। हम अम्बेडकर की उस चेतावनी का संज्ञान लेंगे जिसे हमने करोड़ों देशवासियों के जीवन की कीमत पर अनसुना कर दिया है :–

''26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता मिलेगी किन्तु सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमें असमानता मिलेगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति–एक वोट और प्रत्येक वोट की एक जैसी कीमत के सिद्धान्त का अनुसरण करते रहेंगे। लेकिन अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में, अपनी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के कारण, हम एक आदमी की एक सी कीमत को नकारते रहे हैं। कितने समय तक हम विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे ? हम कब तक अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समानता से मुँह फेरते रहेंगे ? यदि लम्बे अरसे तक हम इसे नकारते रहे तो इससे हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र के लिये संकट पैदा हो जायेगा।''

5. आज प्रजातंत्र संकट में हैं, 20 प्रतिशत विधानसभा सदस्यों एवं संसद सदस्यों का आपराधिक रिकार्ड है। अब एम.एल.ए. अथवा एम.पी. के रूप में अनेक डकैत समाज के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बहुतेरे अपराधी मंत्री बनकर सशस्त्र कमाण्डों की सुरक्षा में चलते हैं। व्यवस्था उन्हें दण्डित नहीं कर सकती क्योंकि शक्ति के कलपुर्जों पर उनका नियंत्रण है। राजनीतिक पार्टियां अपराधियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों और थैलीशाहों की मुसाहिबी में लगी हैं। राजनीति में अपराधीकरण तब और बढ़ जाता है जब निम्न सामाजिक स्तर के वर्गों के प्रजातांत्रिक सशक्तीकरण और सत्ता के सम्मुख नयी चुनौतियों को दबाते हुये राजनीति करने वाले अपनी–अपनी जागीरें बनानें में जुट जाते हैं। सत्ता के नये समीकरणों के निर्माण में इन्हीं अपराधियों से सहायता ली जा रही है। कमजोर और अर्कमण्य प्रशासन व्यवस्था के फलस्वरूप अपराधी तत्व और स्वच्छन्द हो गये हैं। राजनीतिक वर्ग के लिये येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना उसका अन्तिम उद्देश्य बन गया है। प्रशासन का उद्देश्य होता है व्यक्ति को सहजता से अच्छाई की ओर प्रेरित करना और बुरे कामों के लिये अवरोध उत्पन्न करना इसके वितरीत हम ऐसी सरकारें चुनते आये हैं जो अपना भला साधने के लिये किसी भी कुकर्म से नहीं हिचकती हैं।

6. चुनावों के बाद यही अपराधी अपनी राजनीतिक पहुंच और बाहुबल द्वारा पैसा पैदा करने वाले ठेके के धन्धों में लग जाते हैं। भारत में अवस्थापना सुविधायें व्यापक होती जा रही हैं– सड़क, पुल, भवन, रेलवे लाइन ऐसे अनेक निर्माण कार्य देश में प्रगति पर हैं और ये अपराधी–उद्यमी सरकारी ठेकों की स्वर्ण खानों के खनन में जुट जाते हैं। जनता और सरकारी कोष के दम पर धनाढ्य बन जाते हैं, बाद में पार्टियों से विधायिका में जाने के लिये 'सीटों' की मांग करने लगते हैं, देखते–देखते यह एम.एल.ए. और एम.पी. भी बन जाते हैं। धर्म निरपेक्षता तथा साम्प्रदायिकता को लेकर

राजनीतिक दल बेझिझक और खुलेआम इन सबकी दुहाई देकर अपराधियों को ही अपना चुनावी प्रत्याशी बना देते हैं। राष्ट्रीय राजनीति नेतृत्व ने नैतिकता को कबसे तिलांजलि दे रखी है। कुल मिलाकर, सभी राजनीतिक दलों ने नैतिक मूल्यों को बड़ी खामोशी से ज़मींदोज़ कर दिया है। ''मेरे बाद कौन''– जिसे अंग्रेजी में टीना फैक्टर कहते हैं, ने प्रशासन को और भ्रष्ट कर दिया है। हमारा प्रयास है कि विकल्प स्वरूप हम लोक गठबनधन पार्टी के सहयोग से जनता के समक्ष योग्य एवं ईमानदार व्यक्तियों को लायें। पुरानी व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। यह नाकाबिल और नकारा है। जनता मजबूरन सबको सहन कर रही है। हम राजनीतिक विचारशीलता एवं साहस द्वारा पुरानी व्यवस्था के स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित करेंगे।

7. प्रभावी प्रशासन के हित में हम सार्वजनिक जीवन में आदर्श एवं सत्यनिष्ठा लायेंगे। भ्रष्टाचार के कैंसर तथा धन एवं बाहुबल के साथ चुनावी प्रक्रिया में धर्म का दुरूपयोग एवं फलस्वरूप व्यापक राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, साम्प्रदायिकतावाद, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व आदि ऐसी भयानक विसंगतियों को प्रभावी रूप से दूर किया जायेगा। भारत की जनता के प्रति हमारा यह दायित्व बनता है कि वर्तमान में छल प्रपंच द्वारा संचालित राजनीति, जो धन, बाहुबल, जाति और धर्म पर टिकी है, के स्थान पर एक ऐसे शासन तंत्र का निर्माण हो, जिसमें नागरिकों को अपनी क्षमता के अनुरूप एक सम्पन्न एवं सम्मानित जीवन जीने का अवसर मिल सके। हमारे पास ऐसे कुशल प्रशासक उपलब्ध है जो जनसेवक की भूमिका, बिना आज की भ्रष्ट व्यवस्था के सम्मुख सर झुकाये, भली–भांति निभा सकते हैं। आगे यही ईमानदारी और कार्यदक्षता राजनीति में भी परिलक्षित होगी।

8. ईमानदारी एवं निष्ठा, यही दो ऐसे गुण हैं जो आज की राजनीति में पूरी तरह से गायब हैं– सम्मान तथा गरिमाविहीन वर्तमान व्यवस्था किसी को भी इज्जत की जिन्दगी दे पाने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार अक्षमता की सबसे नीची सीढ़ी पर पहुंच चुकी है। जैसा सर टामस मोर ने अपनी प्रथम पुस्तक ''यूटोपिया'' में लिखा है : ''मुझे लगता है कि जहां निजी सम्पत्तियां हों, जहां सब लोग हर चीज का मोल पैसे से आंकते हों वहां सार्वजनिक जीवन में एक ही साथ एक सही एवं सम्पन्न व्यवस्था निरूपित करना लगभग असम्भव है, जब तब कि आप यह न मान लें कि जीवन की सर्वोत्तम वस्तुयें सबसे निकृष्ट व्यक्तियों के नियंत्रण में होनी चाहिये या यह कि समस्त वस्तुओं का वितरण न्यूनतम व्यक्तियों के बीच हो, जिन्हें फिर भी सन्तोष न मिले, भले ही शेष जनसंख्या भयंकर गरीबी में जीवन बिताने को मजबूर हो।'' यह बड़े दुख की बात है कि व्यापक जनहित में कार्य करने की प्रवृत्ति को आज आदर्शवादिता की संज्ञा

दी जाती है और स्वयं यूटोपिया शब्द भी हमारी बिकाऊ राजनीतिज्ञों की दृष्टि में एक असम्मानसूचक मुहावरा बन गया है। लगता है एक काल्पनिक आदर्श समाज का चित्रण भी किसी को स्वीकार्य नहीं है और न ही यह कि यूटोपिया की भावना से आशा के सिद्धान्त को सम्बल मिलता है यानी विश्व समाज के लिये एक आलोकित भविष्य की कामना में भी विश्वास घटने लगा है।

9. हमारी लोक गठबन्धन पार्टी इस कामना को मूर्त करेगी। लोग पार्टी के उद्देश्य क्या हैं? यह सुनिश्चित करेगी कि हर नागरिक को जीने के अधिकार के साथ एक शान्तिमय एवं सम्मानित जीवन व्यतीत करने का अधिकार हो। 'कानून द्वारा शासन' सब पर एक समान लागू किया जायेगा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। यूं तो सभी राजनीतिक दल ऐसे वादे करते हैं और इस बात की क्या गारंटी है कि राजनीति में नई दीक्षा लेने वाले भी असफल नहीं होंगे। नवीन राजनीति के पैरोकार होने के नाते हमारा विश्वास है कि कानून पर अमल होना ही चाहिये और इसमें मेरा आदमी, तेरा आदमी की गुंजाइश नहीं है। यानी कानून एक समान सभी पर लागू किया जायेगा और इसका उल्लंघन करने वालों को दण्डित किया जायेगा। सरकार के किसी अन्य विभाग की भांति पुलिस भी कुशलता एवं प्रभावी ढंग से कार्य करेगी यदि उसे उचित नेतृत्व एवं मार्गदर्शन मिल जाये। हमारे पास नागरिकों के जीवन और उनकी सुरक्षा के लिये ढेरों कानून कायदे हैं। जिस बात की कमी है वह है कानूनों को लागू करने तथा कानून तोड़ने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की। हमें विश्वास है कि हम में कानून द्वारा शासन प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में पुलिस की भूमिका पक्षपात की रही है और इसे सामान्य जनता द्वारा सत्ताधारी दल के ''वर्दी धारी गुण्डा'' की संज्ञा दी गयी है।

10. राजनीति में धनबल और बाहुबल की कोई भूमिका नहीं होगी। वर्ममान समय में राजनीतिक पाटियों के कार्यकलाप से संसदीय प्रजातंत्र को ठेस ही पहुंची है क्योंकि चुनावों में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिये धन का अधिकाधिक दुरूपयोग हो रहा है। अभी हाल में हुये चुनावों में बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी खर्च सीमा का जिस प्रकार उल्लंघन किया वह एक मजाक बनकर रह गया है। प्रजातंत्र को अब जनता अपनी पसंद के लोगों द्वारा नहीं चला रही है बल्कि अब यह राजनीतिक दलों की क्षमता है कि वे किस सीमा तक धनबल द्वारा सामान्य जनता की पसंद को प्रभावित कर सकते हैं। हम निश्चित करेंगे कि देश में राजनीति के संचालन इस प्रकार हो कि चुनावी खर्चों से निपटने के लिये काले धन की आवश्यकता ही न पड़े। हमारा मानना है कि यदि राजनीति में ईमानदारी

बरती जाये और पाई–पाई खर्च का हिसाब दिया जाय तो बिना कठिनाई के चुनावों में अपेक्षित सुधार किये जा सकते हैं। अकेले कानून से चुनावों में सुधार नहीं किया जा सकता। नवीन राजनीति को मिलने वाले जनसमर्थन के बलबूते पर चुनावी प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार किये जा सकेंगे जिनकी हम वर्षों से प्रतीक्षा करते आये हैं।

11. सार्वजनिक संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार जो दैनिक प्रशासन की पोर–पोर में घुस गया है को ईमानदारी द्वारा समाप्त किया जायेगा। ईमानदारी के हाथ बहुत लम्बे होते हैं और इसका अभाव बहुत विध्वसंक होता है जैसे कि हम वर्तमान शासन संस्कृति में देख रहे हैं। इसके विरूद्ध अपनी दूर दृष्टि से अनुमान लगाकर गांधी जी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी ''अर्थ बिना कर्म, आनन्द बिना अन्तरात्मा, ज्ञान बिना चरित्र, व्यापार बिना नैतिकता, विज्ञान बिना मानवता, पूजा बिना त्याग एवं राजनीति बिना सिद्धान्त'' इसे आमूल रूप से बदलना होगा। नागरिकों के प्रति न्याय होना चाहिये। हमारी पार्टी के नेताओं द्वारा, जिनमें चरित्र एवं साहस है और जिन्होंने सार्वजनिक सेवा में अपना समय पूर्ण सत्यनिष्ठ होकर बिताया है, जनता को एक स्वच्छ और विश्वसनीय शासन व्यवस्था प्रदान की जायेगी।

12. वादों की बौछार करने वाले कुछेक संदेहास्पद राजनीतिक दल भी कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो गये हैं जिनमें धन और सत्ता के प्रति वही लिप्सा है जो अन्य में हैं। राजनीति अब हर तरह के लुच्चों, लफंगों की शरणस्थली बन गयी है और प्रशासन के अर्थ हो गये हैं सार्वजनिक साधनों की खुली लूट, जैसे खनिज सम्पदा जिसका 'मित्र पूंजीवादी' खुलेआम दोहन कर रहे हैं। टेलीकाम घोटाला, कोयला घोटाला, एयर इण्डिया घोटाला, अगस्ता हेलिकाप्टर घोटाला, इंडियन प्रीमियर लीग और गैर कानूनी खनन के घोटाले ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं। आज हमारी रक्षा बहुत कुछ वैसी ही है जैसी विन्सटन चर्चिल ने भारत द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति के कुछ ही समय पहले की थी, उन्होंने कहा था ''सत्ता, लुच्चे, लफंगों और मुफ्तखोरों के हाथों में चली जायेगी। घास–फूस की तरह घटिया समस्त भारतीय नेताओं की समझ बड़ी निम्न स्तर की है। उनकी जुबानें मीठी, किन्तु उनके हृदय मूर्खता से परिपूर्ण होंगे। सत्ता के लिये वे आपस में लड़ा करेंगे और भारत राजनीतिक तू तू–मैं मैं में सदा के लिये खो जायेगा। जिसे पहले हमने विदेशियों के द्वारा देश को बदनाम करने की साजिश समझा गया था उसे शीघ्र ही हमारे नेताओं ने सत्य साबित कर दिया।

13. हमें ऐसे मुफ्तखोरों को राजनीति से निकाल बाहर करना है। हमें समाज को संविधान की भूमिका (प्राक्कथन) के अनुरूप बनाना है यानी भारत सचमुच एक सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन सके।

14. 14 अगस्त, 1947 की आधी रात को 68 वर्ष पूर्व भारत के लिये जो प्रस्ताव श्री जवाहर लाल ने रखा था, उस समय उनको भी अनुमान नहीं रहा होगा कि उनकी कांग्रेस पार्टी और उसके उत्तराधिकारी अपनी तिजोरियां भरते हुये देश को रसातल में पहुंचा देंगे जहां अशक्त और गरीब तबको पर भयानक अत्याचार किये जायेंगे, जहां दलितों के जिन्दा जला दिया दिया जायेगा। जहां समस्त कायदे कानूनों के बावजूद बड़े भू–माफिया छोटे और हाशिये पर जीवन बिताने वालों को उनकी जमीनों से बेदखल कर स्वयं कुबेर और अरबपति बन जायेंगे। जहां धन, भूमि, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों को वितरण अपराधियों और घमण्डी उद्योगपति और पूंजीपतियों के मध्य सरकारी छत्रछाया में हो रहा है। 1991 में आरम्भ हुये आर्थिक सुधारों से लेकर अभी तक 7 करोड़ 24 लाख एकड़ खेतिहर भूमि भवन निर्माण माफिया के चंगुल में जा चुकी है। उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण करने के बदले सरकार को अपने पास उपलब्ध 1.40 लाख करोड़ एकड़ भूमि के उपयोग की योजना बनानी चाहिये। इसके अतिरिक्त सरकार को मौजूदा समय में उपलब्ध 3 करोड़ एकड़ बंजर भूमि के विषय में भी सोचना चाहिये। भारत के 6 लाख 30 हजार गांवों में से 5 लाख ग्रामों में कक्षा 6 से आगे के स्कूल ही नहीं हैं। केवल 38 प्रतिशत भूमि सिंचित है। ड्रिप सिंचाई मात्र पांच प्रतिशत होती है। क्यों ? इसका कारण है कि किसानों के हित व्यापारियों और बिचौलियों के पास बंधक पड़े हैं। आज अनेक प्रदेशों में भूख अभाव और कर्ज से तंग आकर सैकड़ों किसान आत्महत्या के लिये मजबूर हैं– केवल इसलिये कि आज की दिशाहीन सरकार के पास इस भयानक स्थिति से निपटने की कोई सार्थक योजना नहीं है।

15. भारत के 28 राज्यों में से 16 राज्यों में नक्सली आतंक ने जड़ें जमा रखी हैं। नक्सलवाद अपनी तरह का एक चरम वामपंथी आन्दोलन है। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ नक्सली हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित है। यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके निदान का माध्यम केवल विकास एवं कल्याणकारी योजनायें हैं जिन्हें ईमानदारी और शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना चाहिये ताकि गरीबों को अपना कानूनी हक पाने के लिये हिंसा की राह न चुननी पड़े। आश्चर्य है कि सबसे अधिक कमजोर, दलित, गरीब आदिवासी इत्यादि ही सरकार की बेरूखी के सबसे बड़े शिकार हैं और भुखमरी से पीड़ित हैं।

अनुसूचित जाति की संख्या देश की जनसंख्या की 16.2 प्रतिशत है। किन्तु उसका नियंत्रण केवल 5 प्रतिशत आर्थिक एवं प्राकृतिक साधनों/स्रोतों है। सबसे बड़े दुख की बात है कि दलितों का दलित द्वारा ही शोषण हो रहा है। सब अपने मौके की ताक में रहते हैं। तथाकथित ''दलित की बेटी'' भी दलितों का भला न कर सकी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर पत्थरों की हजारों मूर्तियां गढ़वा डालीं जिसमें स्वयं उस बेटी की भी मूर्तियां हैं। अपेक्षा की जाती है कि दलित इस मूर्ति के दर्शन से अपनी भूख प्यास बुझायें और स्वयं को सशक्त एवं गर्वित महसूस करें।

16. हमारे देश के लोलुप और लुटेरे नेताओं की तुलना में अमेरिका के अश्वेत नेता डॉ0 मार्टिन लूथर किंग ने समस्त विश्व के गरीबों और वंचितों को एक नया सपना दिखाया। वह सपना था भूख और लाचारी से मुक्ति का और बराबरी के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति का।

सरकार से कोई कभी नहीं पूछता कि आर्थिक पायदान में मुसलमान क्यों सबसे नीचे हैं। वेतनभोगी मुसलमानों की संख्या काफी कम है, शहरी क्षेत्रों में 8 प्रतिशत से भी कम मुस्लिम जनसंख्या औपचारिक रोजगारों से जुड़ी है। जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 21 प्रतिशत है। मुस्लिम पुरुषों की संख्या का लगभग 12 प्रतिशत सड़कों पर फेरियां लगाने का रोजगार करता है। यद्यपि अधिकांश मुस्लिम नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, फिर भी औपचारिक रूप से स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों में उनकी संख्या नगण्य है। उनके लिये नियत विकास धनराशि या तो हड़प ली जाती है या अन्य मदों में लगा दी जाती है। राजनीति भी उनका कोई भला नहीं कर पायी।

झूठे आश्वासनों के बाद भी गरीब तबकों का शोषण ही होता रहा है। किसी भी सरकार ने स्थिति को सुधारने के गम्भीर प्रयास नहीं किये हैं। आरक्षण के बावजूद अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासयिों एवं सामान्य गरीबों की दशा में केवल खानापूरी भर सुधार हुआ है। चुनावों के मौकों पर राजनीतिक दल आरक्षण का एक तुरूप के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने–अपने राज्यों में सार्वजनिक शान की लूट खसोट के बाद भी लालू यादव और मायावती अपनी जाति के मतदाताओं के मत के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। अदालतों द्वारा सजा के बाद भी इन नेताओं की भ्रष्ट तिजारत चलती रहती है।

जाट तथा मुस्लिम वोटों के लिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. और समाजवादी ने साम्प्रदायिक दंगों को उकसाना जिसमें अनेक जानें गई और सम्पत्ति भी बड़े पैमाने पर हानि हुई। हिन्दू–मुसलमानों के दिल और दिमाग बाँट दिये गये।

वोट बैंक की राजनीति ने देश को आर्थिक, औद्योगिक, नैतिक एवं भावनात्मक रूप से अपार क्षति पहुंचाई है। जातियों के तुष्टीकरण तथा हिन्दू–मुसलमानों की अतिवादी गतिविधियों ने देश को न केवल आन्तरिक रूप से अपंग कर दिया है बल्कि विदेशों में भी हमारी छवि को बुरी तरह से धूमिल किया है।

देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सार्थक स्वरूप देने के बजाय राजनीतिक दलों और नेताओं ने झूठे वादों, प्रतीकों और खोखली योजनाओं की आड़ में अपने निजी स्वार्थों को ही साधा है। गांधी परिवार ने बीसियों वर्ष राज्य किया किन्तु भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं हुई। भ्रष्टाचार उलटे बढ़ा। जैसे बोफोर्स घोटाला।

एक पंचवर्षीय योजना अवधि में विकास कार्यों पर लगभग एक खरब रुपये (100,000,000,000 रु0) व्यय होते हैं। सड़क, रेल, बन्दरगाह, आदि के मदों में यह धनराशि खर्च होती है। अलग से सैनिक साजो सामान पर अरबों रुपये का व्यय होता है। उल्लेखनीय है कि विकास का आकार जितना बड़ा होता है उतना ही अधिक भ्रष्टाचार भी सभी स्तरों पर पनपता है। राजनीतिक चुनावों में चुने गये राष्ट्र के इन प्रहरियों के भ्रष्टाचार पर कौन पहरा बैठायेगा। आज देश में कम होती जा रही भूमि पर कब्जा करने, सीमित जल एवं खनिज सम्पदा पर नियंत्रण करने के लिये निर्वाचित राजनीतिक गुण्डों, ठेकेदारों, भ्रष्ट धनी एवं बाहुबलियों की फौज सक्रिय हो गई है। रिश्वत का बोलबाला है। किसी भी राजनीतिक दल ने इस राष्ट्रव्यापी लूट पर अंकुश लगाने की चेष्टा नहीं की है।

समाजवादी दल ने समाजवाद त्यागकर अपनी तिजोरियों को ऊपर तक भर लिया है। सैफई गांव आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है जहां नियमित रूप से करोड़ों रुपयों की लागत के जलसे और जश्न प्रतिवर्ष होते हैं। पारिवारिक शादी ब्याह में जो शानो–शौकत देखने को मिलती है और जिस तरह पानी की तरह पैसा बहाया जाता है वह पुराने महाराजाओं, नवाबों और धन कुबेरों की याद दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी भी जनता के कल्याण को भूलकर प्राणप्रण से बड़े–बड़े कारपोरेट पूंजीपतियों को सरकारी लाभ दिलाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी और दक्षिण में अम्मा साम्राज्ञियों की तर्ज़ पर शासन करती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों में संसार के भ्रष्टतम देशों– चीन एवं इंडोनेशिया के साथ गिना जाता है।

आजादी से पहले का माहौल कितना बदला है ? तत्कालीन गवर्नर जनरल बेन्टिंग ने स्वयं 21 दिसम्बर 1832 को लिखा था : ''जहां तक पुलिस का संबंध है, उसका रूप जनता के रक्षक से बहुत हट कर है। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति निम्नलिखित घटना से अधिक नहीं हो सकती कि आम लोगों ने जारी किये गये एक नये कानून का गर्मजोशी से स्वागत किया जिसके अनुसार कहीं डकैती पड़ने पर पुलिस को वहां जाकर तफ्तीश का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि पीड़ित पुलिस से जांच के लिये स्वयं आग्रह न करे। इसके अर्थ हुये कि मांसाहारी भेड़िया की तुलना में गड़रिया अधिक हिंसक हो गया है।

पुलिस की नालायकी और भ्रष्टता ने अब सब सीमायें लांघ दीं तो प्रेस को भी इसका संज्ञान लेना पड़ा। एक देशी समाचार पत्र–पत्रिका ने लिखा : किसी भी गृहस्थ के घर चोरी हो जाने पर पीड़ित अपना पसीना बहा देता है कि सरकारी अमले को इसकी भनक न लग पाये क्योंकि अगर पता लग गया तो जो चोरों से छूट गया है उसे अफसर हजम कर जायेंगे। यह आज भी वर्ष 2015 के सम्पूर्ण भारत और उसके शक्तिशाली शासक वर्ग पर समान रूप से लागू होता है।

वर्तमान अर्थशास्त्रियों की अवधारणा है कि भारत ऐसा दूसरा देश है जहां अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है। इनकी काली कमाई के स्रोत हैं भूमि, प्राकृतिक संसाधन तथा सरकारी ठेके, न कि खुले रूप से व्यापार आदि के माध्यम।

सरकार से नजदीकियां बनाकर बहुत बड़े पैमाने पर लाभ उठाया जा सकता है और यह काला धन इसी प्रकार इनकी पास एकत्र हुआ है। हमारे वर्तमान परिवेश में भ्रष्टाचार गहरे घुस गया है।

सरकारों ने इसके निवारण के लिये क्या है?

कुछ भी नहीं। सरकार के समस्त साधन केवल इस बात पर लगे रहे कि इस शर्मनाक काली करतूत को छिपाये रखा जाय। इसका दृष्टांत चकित कर देने वाला है। 1963 में महाराष्ट्र की सरकार ने प्रदेश से सदा के लिये अकाल को समाप्त कर दिया है और बिना कुछ किये यह ऐसे हुआ कि विधायिका में सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें से अकाल शब्द सदा के लिये निकाल दिया। इसे कहा गया 'महाराष्ट्र डिलीशन ऑफ दि टर्म ''फेमीन'' एक्ट 1963' इस कानून में बताया गया कि अब राज्य में अकाल की संभावना सदैव के लिये समाप्त हो गयी है। क्योंकि सरकार इस पर निरंतर दृष्टि

रखे हुये है और स्थिति बिगड़ने पर सरकार तुरन्त राहत पहुंचायेगी। अलविदा, अकाल !!

इस कानून के अगले पैरा में कहा गया चूंकि अब अकाल हमेशा लिये समाप्त हो गया है इसलिये अब अकाल अथवा भयंकर कमी को मात्र कमी कहा (लिखा और कहा जायेगा

कागज पर अकाल की हत्या करके सरकार ने गरीब जनता को बुरे समय में खा़द्यान्न उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी की भी हत्या कर दी।

सरकार ने अपना बोझ घटा दिया है और अरबपतियों की संख्या बढ़ाने में जुट गयी है।

आगे आने वाली सरकारों ने भी यही किया, अगर आप अकाल से लड़ नहीं सकते तो इसे सरकारी कागज में मार दीजिये। यदि किसानों की आत्म हत्या नहीं रोकी जा सकती तो किसान शब्द को पुनः परिभाषित कीजिए। इसी प्रकार आत्महत्या की भी परिभाषा की जानी चाहिये। यूपी में इन दोनों पर इतना हो रहा है। उत्तर प्रदेश के एक मुख्य सचिव कुछ समय पहले, किसानों द्वारा आत्महत्या को सामान्य मृत्यु बताने में जुटे थे जबकि किसानों के खेत खलिहान अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि से पूर्णतया नष्ट हो चुके थे। ग्रामीण जनता के प्रति कौन इस सरकारी अमले में संवेदना जगायेगा। समाजवादी पार्टी के इस प्रकार के समाजवाद और बीजेपी के 'सबका साथ, सबका विकास से क्या भूखे किसान की भूख मिटेगी।

शक्तिशाली सत्ता दल गरीब किसानों की दशा से रंचमात्र चिंतित नहीं हैं, हुआ करे भूख, हुआ करे अकाल, हुआ करे मृत्यु का भीषण तांडव। देश की दशा देखने योग्य है कि कहीं अन्न का सम्पूर्ण अभाव है और कहीं सरकारी गोदामों में लबालब भरा हुआ खाद्यान सड़ रहा है। वर्ष 2008–09 में खाद्यान्न उत्पादन सबसे अधिक 2 करोड़ 35 लाख टन दर्ज किया गया। उत्पादन इतना अधिक था कि उसका आधा भी भंडारगृहों में संरक्षित नहीं करवाया जा सका और उसे सड़ने पर मजबूर होना पड़ा। खाद्यान्न बड़ी मात्रा में सड़ा। आवश्यकता से अधिक उपज के कारण अतिरिक्त खाद्यान्न को निर्यात करने का निर्णय लिया गया। खाद्यान्न ईरान और ईराक देशों में भेजा गया। इस निर्यात को अस्वीकार करते हुये वापस लौटा दिया गया, यह कहकर कि यह अन्न मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है। ईराक और ईरान में अनेक मतभेदों के बाद एक बात पर दोनों सहमत थे कि भारत द्वारा निर्यातित अन्न पूरी तरह निकृष्ट एवं अभोजनीय है। इसके बाद व्यापारियों ने, भारत के गरीब भूखों की चिन्ता न करके इसे पशुओं के

चारा के तौर पर यूरोपीय देशों को भेजा। व्यापारियों ने इसे एक विवेकपूर्ण सौदा बताया। भूखों की परवाह किसे थी? खाद्य मंत्रालय एवं उससे संबंधित लोगों के बीच मोटी–मोटी धनराशियां बंटीं।

भ्रष्टाचार के इस तन्त्र को हम समाप्त करेंगे और भारत को विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रजातांत्रिक देशों की श्रेणी में ले आयेंगे, जहां कुशल प्रशासन होगा, मण्डी द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था होगी जहां विकास एवं सभ्य समाज होगा, सूचना एवं उत्तरदायित्व के मामलों में पूर्ण पारदर्शिता बढ़ती जायेगी। इस प्रकार संसार की समस्त जनसंख्या से कुछ ही कम जनसमूह को गरीबी और असमानता से मुक्ति मिल जायेगी।

अभी तक सरकारी कार्यालयों का उपयोग निजी लाभ के लिये होता है। लोकपाल, सूचना का अधिकार, जन विरोध आदि इस स्थिति को बदल नहीं पाये। मात्र सरकारी कानून बना देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता। इसके लिए एक बिल्कुल नयी विचारधारा से प्रेरित राजनति का निर्माण किया जायेगा, जिसके माध्यम से हम आज की भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति समाप्त कर देंगे। नियमित चुनावों के झूठे मुखौटों को तोड़ दिया जायेगा। आज की राजनीति प्रजातंत्र का एक क्रूर मजाक बनकर रह गया है। हमें इस प्रथा को जड़ से मिटाना है। शक्तिशाली और धनकुबेरों द्वारा अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि कानून द्वारा शासन हो हम लोग जिन्हें प्रशासन का व्यापक अनुभव है जनता के साथ सीधा सम्पर्क करेंगे। कन्धे से कन्धा मिलाकर उनके साथ रहेंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे जैसाकि हम अपने सेवाकाल में करते आये हैं।

प्रशासन से समस्त बिचौलियों को हटाकर शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या के विशाल समूहों को साक्षरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो जेब पर भारी न पड़े ऐसी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था तथा आजीविका के लिये सबको रोजगार उपलब्ध करायेंगे। कम से कम देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है। यदि हम कुपोषण एवं किसानों द्वारा आत्महत्या की परिधि से नहीं निकल पाये हैं तो उसका कारण है आज की सरकारी व्यवस्था। वर्ष 2012–13 में एकत्र सूचनाओं से पता चलता है कि किसानों की दशा कितनी विकराल हो चुकी है, विशेषतः 83 प्रतिशत ऐसे गृहस्थ किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और जो बुरी तरह ऋण के मकड़जाल में फंसे हुये हैं। एक दूसरे से जुड़े हुये ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पिछड़ापन और गरीबी मुंह बाये खड़ी है। देश के बड़े राज्यों जैसे बिहार, उ0प्र0, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की लगभग 50 फीसदी आबादी प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से काफी नीचे

स्थान पर दर्ज हुई है। अकेले बिहार और उ0प्र0 में सम्पूर्ण भारत के लगभग 38 प्रतिशत गरीब जनसंख्या रहती हैं। इससे निपटने का एक उपाय यह भी है कि जनता को शिक्षित किया जाय और कम से कम सभी को बुनियादी शिक्षा मिले।

हमारे सामने 3 चुनौतियां हैं– पहली हमें पात्र विद्यार्थियों को स्कूल–कालेजों में भर्ती दिलानी पड़ेगी, जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, दूसरी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो तथा तीसरी शिक्षा महंगी न हो। देश में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) उच्च शिक्षा के मुख्य नियामक द्वारा ऐसे प्राविधिक संस्थानों की घोषणा होती रहती है, जो नकली हैं। 340 निजी शिक्षा संस्थानों को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है। देखा जाय तो भारत में मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की संख्या 4500 है। इस भीषण त्रुटि का निदान किया जायेगा।

शिक्षा की गुणवत्ता के अतिरिक्त विचारणीय है कि श्रमिक वर्ग से मात्र 8 प्रतिशत स्नातक दर्ज किये गये हैं। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में केवल 10 प्रतिशत युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं जबकि चीन में यह औसत 15 प्रतिशत है। भारत में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसे वैश्विक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठों की श्रेणी में रखा जा सके। कुछेक विश्वविद्यालयों ही में उच्चकोटि के कतिपय विभाग हैं और कुछेक स्नातक स्तर से नीचे के कालेज भी उल्लेखनीय है। विश्व स्तर पर मुख्यतया आईआईटी और आईआईएम तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फण्डामेण्टल्स रिसर्च जैसे गिने चुने शिक्षण संस्थान हैं। कुल मिलाकर इनमें शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों की संख्या देश की जनसंख्या का एक प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

अपनी जनशक्ति की अमूल्य सम्पदा का उपयोग हम तभी कर सकेंगे जब हम शिक्षित हों। समस्त संसार में भारत में निरक्षरों की संख्या सबसे अधिक है। कक्षा 1 में भर्ती होने वाले बच्चे 8 साल का कोर्स भी पूरा नहीं कर पाते है। क्योंकि यह गरीब और अभावग्रस्त वर्ग से आते हैं। विश्वविद्यालयों में पात्र विद्यार्थियों में से मात्र 10 प्रतिशत को उच्च शिक्षा के अवसर मिल पाते हैं। हमें अपनी जन सम्पदा का पूरा लाभ उठाना है। किसी भी देश का आर्थिक विकास मात्र जनसंख्या नहीं बल्कि जनसंख्या के स्वरूप पर निर्भर करता है। यदि हमारी सम्पूर्ण जनसंख्या में कार्यक्षमता से युक्त व्यक्तियों का बाहुल्य हो तो निश्चित ही हमें उसका लाभ मिलेगा। इस समय हमारे पास 45 लाख 90 हजार ऐसे युवा हैं जो ऊर्जा से भरपूर हैं और यदि इन्हें शिक्षा एवं व्यावसायिक कौशल उपलब्ध हो जाये तो देश के प्रजातंत्र को यह नई ऊंचाइयों को ले जाने में सक्षम हैं।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आये हुये क्रान्तिकारी परिवर्तनों में एवं इसके विविध आयामों का समुचित उपयोग किया जायेगा। जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक संख्या में अर्द्धशिक्षित एवं आर्थिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को ज्ञान एवं विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षा दे सकेंगे।

नवीन प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण अंग है सम्पर्कता (कनेक्टिविटी) इस समय धन सम्पत्ति एवं आय की असमानताओं के कारण केवल कुछेक समाज के शीर्ष पर स्थित वर्ग एक दूसरे से सम्पर्क बना पाते हैं जबकि बड़ी संख्या में गांवों में हाशिये पर रहने वाले अभी भी इस सम्पर्कता से वंचित हैं। हम इस असंतुलन को दूर करेंगे। हम नेट–तटस्थता पर अमल करेंगे। कम्प्यूटर का उपयोग मुख्यता शहरी इलाकों और अंग्रेजी पढ़े–लिखे लोगों तक सीमित है। फलतः लाखों लाख भारतीयों को सूचना प्रौद्योगिकी में आयी हुई क्रान्ति के लाभ नहीं मिल पाये हैं। हम नये माध्यमों के विकास द्वारा लाखों बालकों को शिक्षा देने में समर्थ होंगे और उन्हें न केवल कखग और गुणाभाग से ऊपर कम्प्यूटरों से भली–भांति परिचित कराया जायेगा। झूठ मूठ के दिखावे के लिये लैपटापों और रोजगार भत्तों के वितरण द्वारा वोटरों को लुभाया नहीं जायेगा। उत्तर प्रदेश में इन सब कार्यों से दशा में रंच मात्र सुधार नहीं हुआ।

पिछले 70 सालों में सरकारों ने क्या किया ?

कमजोर प्रशासन द्वारा केवल भ्रष्ट एवं निकम्मे तत्वों को विकसित होने का अवसर मिला। कानून कायदों की भरमार और उचित सामंजस्य के अभाव में पैसा तो पानी की तरह बहा है लेकिन उसके लाभ से समाज वंचित रहा है। आवश्यकता है कि शिक्षक स्कूलों में पढ़ायें, डाक्टर स्वास्थ्य केन्द्रों पर निष्ठापूर्वक कार्य करें और गरीबों को दिया जाने वाला अनुदान उन तक सचमुच पहुंचे। इसके लिये आवश्यकता होगी उन तीन माध्यमों को चुस्त बनाने की, जो देश में जनता की सेवा करती हैं जैसे प्रशासनिक सेवा, पंचायत एवं गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)।

हमें संविधान में वर्णित लिंग समानता पर भी अमल करना है। आज हर 3.5 मिनट में महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, जिनका औसत जनसंख्या से कहीं अधिक है। बड़ी संख्या में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का पता ही नहीं लगता है। उपलब्ध आंकड़ों से अनेक लज्जाजनक तथ्य उद्घाटित होते हैं। जैसे –

- भारत में बालिकाओं की भ्रूण हत्या की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रति 32 मिनट पर एक महिला से बलात्कार होता है।

- हर 12 मिनट पर उसे सेक्स की दृष्टि से पीड़ित किया जाता है।
- एक महिला अथवा लड़की प्रति 46 मिनट पर जिश्मफरोशी में ढकेली जाती है।
- एक महिला अथवा नाबालिग लड़की का प्रति 36 मिनट पर अपहरण होता है।
- प्रतिशत 66 मिनट में दहेज आदि को लेकर एक महिला की हत्या होती है।
- प्रति 11 मिनट पर एक महिला को अपने विवाहित जीवन में प्रताड़ना का शिकार होती है।

रोयें खड़े कर देने वाले इस भयंकर यथार्थ के बावजूद आजतक कौन सी सरकार देश की वन्दनीय आधी जनसंख्या को उसकी गरिमा और उसका आत्मसम्मान लौटा पायी है?

देश आज महिलाओं का स्थान शिक्षा में 121वां, आर्थिक भागीदारी में 127वां तथा स्वास्थ्य–चिकित्सा में अति निकृष्ट 131वां है और फिर भी हम बराबरी महिला स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की बात करते हैं। प्रति 1 लाख शिशुओं के जन्म के सापेक्ष 300 माताओं की मृत्यु होती है, जो संसार में सबसे अधिक है। वास्तव में जन स्वास्थ्य पर कुल घरेलू उत्पाद का 1.3 व्यय वर्तमान में घटकर 0.9 प्रतिशत रह गया है। महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा स्वास्थ्य आदि की समस्याओं पर बुरा असर पड़ा है और इस वर्ग के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

भारत में गर्भावस्था अथवा प्रसव के समय काफी संख्या में माताओं की मृत्यु हो जाती है जो संसार में सर्वाधिक है। अनेक राज्यों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सम्बन्धी कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा उनकी निम्न स्तर की जानकारी भी इस स्थिति के लिये जिम्मेदार है। फलतः पड़ोसी देशों, श्रीलंका, चीन एवं वियतनाम की तुलना में हमारे स्वास्थ्य के परिणाम बहुत चिन्ताजनक हैं। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों से 45 प्रतिशत एवं वृहत प्राथमिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक केन्द्रों से लगभग 36 प्रतिशत डॉक्टर एवं नर्सें आदि अनुपस्थित रहते हैं। अतः ऐसे 56 प्रतिशत उपकेन्द्र नियमित समय के दौरान भी बन्द रहते हैं। पूरा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है।

जनस्वास्थ्य को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जायेगी। देश में सबसे अधिक मरने वालों की संख्या प्रायः तपेदिक से होती है– प्रति 3 मिनट में 2 मौतें। इसके लिये दयनीय जीवन यापन एवं रहन–सहन की सुविधाओं में कमी जानलेवा है। सम्पूर्ण जनसंख्या के लगभग 33 प्रतिशत को ही पेयजल एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध होता है। भारत की शहरी

आबादी लगभग 28.5 करोड़ है जो चीन के बाद संसार में सर्वाधिक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शहरी जनसंख्या में 5 गुना वृद्धि हुयी है जिनकी समुचित देखभाल करना हमारे नगरों और नागरिक सुविधाओं के अधिकारियों के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि आज हम प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण की विनिष्टता से अपने को बचाने में अक्षम पाते हैं। उल्लेखनीय है कि देश की समस्त भूमि के 2 प्रतिशत पर हमारे नगर अवस्थित हैं किन्तु उनसे पैदा होने वाला प्रदूषण एवं कूड़ा आदि 70 प्रतिशत है। आधी से भी अधिक जनसंख्या को रहने के लिये स्वच्छ वातावरण उपलब्ध नहीं है। संक्षेप में ग्रामों और शहरों के समुचित विकास पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, यदि हम एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं।

खाद्यान्न उपज की धीमी गति, बढ़ता हुआ बेरोजगार और घटती हुई क्रय शक्ति ने भारत में गरीबों के जीवन को नर्क बना दिया है। ग्रामों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये हमें उन सभी उपादानों की व्यवस्था करनी होगी जिनकी अनुपस्थिति में ग्रामीण अभाव का जीवन जी रहे हैं। सर्वप्रथम हमें खाद्यान्न की जन वितरण व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का निराकरण करना होगा। कृषि एवं उस पर आधारित विशाल जनसंख्या के लिये हमें बंजर ऊसर भूमि के उपयोग के साधन खोजने होंगे। अतः युद्ध के स्तर पर ''ड्राईलैण्ड फार्मिंग'' पर ध्यान देना होगा।

सत्ता का उपभोग कर रहीं या कर चुकीं राजनीतिक पार्टियां चाहे यूपीए हो अथवा एनडीए केवल नारे लगाती रहती हैं कि 2020 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। स्वच्छता अभियान, गरीबों के लिये भविष्य में आवास या यह कि भारत में करोड़पतियों की संख्या सबसे अधिक है, की खोखली बातों से क्या हम उस अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं जिसका हमने 15 अगस्त 1947 को सभी नागरिकों के लिये प्रण किया था।

आज जनता एक स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं भ्रष्टाचार से मुक्त संवेदनशील प्रशासन व्यवस्था के लिये त्राहि–त्राहि कर रही है। विदेशी निवेशक ऊंचे स्वरों में सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता की मांग करने लगे हैं। अच्छे प्रशासन एवं भ्रष्टाचार के स्तर को स्कैण्डीनेवियाई देशों के समकक्ष ले आने पर भारत की आर्थिक दशा में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्याशित उन्नति होगी, कुल घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत और विदेशी निवेश प्रत्यक्ष निवेश में 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमें भारत को विश्व का सर्वाधिक ईमानदार देश बनाना है। पिछले 68 वर्षों में हमारा अधिकांश सरकारी विकास कार्य केवल 30 करोड़ लोगों के हितों तक सीमित रहा है और जब तक हम शेष 80 करोड़

से ऊपर की जनता की भलाई की नहीं सोंचेगे, विकास की दिशा में भारत की प्रगति असम्भव है।

हमें आवश्यकता है एक नैतिक प्रशासन व्यवस्था की जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो और जहां सभी विभाग/संगठन आदि पूर्णरूप से पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का पालन करते हों, यही किसी अच्छी सरकार के गुण हैं। भारत में इसका सर्वथा अभाव रहा है। जनता के प्रति उत्तरदायी राजनीतिक नेतृत्व एवं सजग एवं संवेदनशील 'सिविल सर्विस' के साथ एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस तथा न्याय व्यवस्था के बिना अच्छी सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

हमारे देशवासियों ने अनेक बार नेताओं के प्रति, जिन्होंने गरीबी हटाओं का नारा लगाया, अपनी आस्था प्रकट की है, गुण्डाराज का अन्त, हमें स्वराज चाहिये, अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसे नारा देने वाले ने बारम्बार जनता को निराश किया है। ये खोखली नौटंकी कब तक चलेगी। एक कहावत है कि ''हरेक को हर समय तक मूर्ख बनाकर नहीं रखा जा सकता''। इसी प्रकार आप जनता को निरन्तर लूटते नहीं रह सकते। दिसम्बर 2015 में जारी 'ग्लोबल फाइनेन्शियल इन्टीग्रिटी' की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के गैर कानूनी बाहरी धन प्रवाह के मामले में पांचवे स्थान पर है। भारत से चोरी छुपे विदेशों को भेजे जाने वाले धन की मात्रा में 2009 से 2011 के बीच 196 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लगभग 65 लाख करोड़ रूपये की अकल्पनीय राशि स्विट्जरलैण्ड के बैंकों में पड़ी है और यदि इस काले धन को वापस भारत लाया जा सके तो ये रकम काफी है कि :

- भारत का समस्त बाहरी कर्ज जो लगभग रूपये 222 अरब है पूरी तरह अदा हो जाये।
- देश में सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बन्दरगाह एवं ऊर्जा के स्तर को विश्व की अवस्थापना सुविधाआं के समकक्ष ले आया जाये।
- देश में आधुनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विश्वस्तरीय मानक निर्मित हों।
- शहरी ढांचे की सम्पूर्ण आधुनिक संरचना पर समस्त व्यय वहन किया जा सके।
- भारत के 6 लाख आधुनिक ग्रामों का आधुनिकीकरण– पुनर्निमाण एवं पुनर्व्यवस्था, जिसमें दूषित जल मल निकासी, पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति, बिजली पक्के आवास, स्कूल, दवाखानें आदि शामिल हैं, सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में अभी तक किसी भी सरकार ने कालाधन वापसी को मूर्त करने की हिम्मत नहीं दिखायी जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने स्विट्जरलैण्ड की यूएसबी बैंक, जो संसार की सबसे शक्तिशाली एवं और विशाल वित्त प्रबंधन कम्पनी है, हाल ही में गहरी जांच पड़ताल करायी कि किन अमरीकी नागरिकों का इस बैंक में चोरी का खाता है और वे कौन हैं जो सरकारी खजाने को अपार क्षति पहुंचा रहे हैं। अमरीकी सरकार द्वारा मुकदमे की धमकी से घबरा कर यूएसबी बैंक ने न केवल अमरीकी सरकार को 7 करोड़ 80 लाख अमरीकी डालर हर्जाना स्वरूप दिये बल्कि एक समय सीमा के भीतर उन समस्त अमरीकी नागरिकों के नामों का खुलासा किया जिनका धन बैंकों में जमा था। अमरीकी कार्रवाई को पूरी दुनिया ने देखा और सुना लेकिन हमारी सरकार निकम्मी बनी बैठी रही। एक जनयाचिका के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष जांच दल की नियुक्ति द्वारा सरकार को धन वापसी कार्रवाई के आदेश दिये।

देश भक्ति एवं कर्तव्यपरायणता से कोसों दूर, अपनी अकर्मण्यता की शिकार हमारी सरकार ने गरीब जनता और मजदूरों के हितों का नारा देकर उन सभी तत्वों को पूरी आजादी दे रखी है जो खुले रूप से देश को लूट खसोट रहे हैं। आज कुछ भी आपराधिक नहीं है, कुछ भी अनैतिक नहीं है।

आवश्यकता है कि जोड़तोड़ में माहिर सत्ता के पाखंडी नेताओं और दलालों को हटाकर हम उनके स्थान पर योग्य, कुशल एवं नैतिकता से प्रेरित, देश की सेवा कर रहे व्यक्तियों को लायें। यही लोक गठबन्धन पार्टी की नवीन राजनीति है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लोक गठबन्धन पार्टीकी राजनीति पूर्णतया सत्य पर आधारित होगी और वह सब कुछ जो एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाता है। हमारी पार्टी के राजनीति का प्रेरणा स्रोत सच रहेगा, लेकिन इस राजनीति के अनुयायियों की पहचान क्या होगी? इनकी पहचान निम्नलिखित मानकों के आधार पर की जायेगीः–

- क्या उनकी कथनी–करनी में अंतर है ?
- क्या वे जो कहते हैं उसमें विश्वास रखते हैं या मात्र वोट प्राप्ति के लिये जबानी जमा खर्च कर रहे हैं?
- क्या उनका जीवन उनके द्वारा प्रचारित आदर्शों के अनुरूप है?
- क्या साधन एवं साध्य की शुद्धता उनके लिए महत्वपूर्ण है अथवा सत्ता प्राप्ति के लिये वे पुनः जाति, धर्म, धन, बाहुबल, झूठे वादों और सफेद झूठ का आसरा लेंगे?

- क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है ?
- हम मानते हैं कि सभी व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न नहीं होते लेकिन नयी राजनीति के अनुयायियों का मूल्यांकन पूर्णरूपेण उपरोक्त मानकों के आधार पर ही किया जायेगा। इन्हीं के अनुपालन से देश की किस्मत बदल सकती है और बदलेगी।

हमारी लोक गठबन्धन पार्टी की नयी राजनीति सदियों पूर्व कहे गये ग्रीक दार्शनिक के इस कथन से सहमत हैः–

''विवेकशील व्यक्ति यदि सरकार में भागीदारी नहीं करेंगे तो उन्हें बुरे लोगों की सरकार के अधीन रहकर यातना की सजा भोगनी होगी।''

अब हम बेजुबान रहकर और नहीं सहन करेंगे। हम सरकार में अपेक्षित सुधार लायेंगे, जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होगा और जिसमें सामान्य जन पहली कतार में रहेंगे। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे एक आम आदमी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन वास्तविक रूप से परिलक्षित हो। जनहित में बड़ी मछलियों को पकड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। सार्वजनिक जीवन और सेवाओं में कार्यरत लगभग 5 हजार व्यक्तियों की सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तियों की जांच एक इन्टीग्रिटी (कमीशन सत्यनिष्ठा आयोग) द्वारा करायी जायेगी और यदि ज्ञात स्रोतों से प्राप्त धन से अधिक उनकी हैसियत निकली तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। इससे यह लोकोक्ति हटेगी कि भारत में बिना हथेली गर्म किये कुछ नहीं होता। हम भारत की जनता को केवल विश्वास ही नहीं दिलायेंगे बल्कि दिखायेंगे कि सियासत बदल सकती है।

एक अन्य ग्रीक दार्शनिक 'अरस्तू' द्वारा प्रतिपादित और अर्थशास्त्री अर्मत्य सेन अपनी पुस्तक ह्यूमन कैपेबिलटीज (मानवीय क्षमतायें) में वर्णित जनकल्याण की अवधारणा को हम एक नये रूप से परिभाषित करेंगे। केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना ही हमारा ध्येय नहीं होगा बल्कि नागरिक के सर्वांगीण जीवन में विकास और उन्नति आये और वह परिलक्षित भी हो– यही लोक गठबन्धन पार्टी की राजनीति की आधारशिला होगी। एक ऐसे समाज एवं परिवेश की स्थापना जहां देश की जनता यथासम्भव भौतिक एवं नैतिक रूप से सम्पन्न हो, जहां विचारों की स्वतंत्रता हो, जहां ज्ञान का वास्तविक मूल्यांकन हो और जहां सब लोग मिल–जुलकर बिना भय अपनी विचारधारा का अनुसरण कर सकें।